

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.  
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र आदर्श ढूँढा

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
निम्बाराम पुत्र बाबराराम जाति माली निवासी-उत्तरलाई, हाल-बेरियों का वास तहसील व जिला बाड़मेर		1. लुणाराम पुत्र गिरधारीराम 2. चंपालाल पुत्र गिरधारीराम जातियान माली, निवासीयान-उत्तरलाई तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या-269/2019 दिनांक-15.11.2021

### आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा उत्तरलाई पटवार हल्का कवास तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 316/10 रकबा 16 बिस्वा, के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुये एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर  
दिनांक- 15/11/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6332-6335

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी निम्बाराम पुत्र बाबराराम जाति माली निवासी-उत्तरलाई, हाल-बेरियों का वास तहसील व जिला बाड़मेर
4. लुणाराम पुत्र गिरधारीराम, चंपालाल पुत्र गिरधारीराम जातियान माली, निवासीयान-उत्तरलाई तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर